राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 44/2023

प्रार्थीगण :–

1. श्री हरीराम पुत्र श्री नैनाराम के कायम मुकाम
   1/1 श्रीमती नाजु देवी पत्नी स्व0 श्री हरीराम
   1/2 श्री पपाराम पुत्र स्व0 श्री हरीराम
   1/3 श्री लालाराम पुत्र स्व. श्री हरीराम जातियान मेघवाल, निवासीयान गांव खण्डप, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत खण्डप, पंचायत समिति सिवाना, जिला बालोतरा
2. स्व. श्री शंकरराम पुत्र श्री नैनाराम के कायम मुकाम
   2/1 श्री हड़मानराम पुत्र शंकरराम जाति मेघवाल निवासी खंडप, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।
   2/2 श्रीमती टमुदेवी पत्नी श्री रूपाराम, पुत्री स्व श्री शंकरराम जाति मेघवाल, निवासी बरवा, तहसील आहोर, जिला जालोर।
   2/3 श्रीमती अणचीदेवी पत्नी श्री राजाराम, पुत्री स्व0 श्री शंकरराम जाति मेघवाल, निवासी रामा, तहसील आहोर, जिला जालोर।
   2/4 श्रीमती ज्योतिदेवी पत्नी श्री मोहनजी, पुत्री स्व0 शंकरराम, जाति मेघवाल, निवासी निम्बला, तहसील आहोर, जिला जालोर।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 36, मिसल संख्या 02/2000–01, दिनांक 07.11.2004 जो अप्रार्थी सं. 02 के नाम ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा जारी किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

उपस्थिति :–

1. श्री ओमसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा जारी पट्टा संख्या 36, मिसल संख्या 02/2000–01, दिनांक 07.11.2004 के विरूद्ध दिनांक 13.12.2021 को न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 167(1) के तहत ग्राम खण्डप में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या पट्टा संख्या 36, मिसल संख्या 02/2000–01, दिनांक 07.11.2004 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 871.11 वर्गगज दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ौस बदिशा उतर में रा गा पा अर्थण्डी मार्ग व 70, दक्षिण में हड़मानाराम/हराजी व 70 फीट, पूर्व में आम रास्ता व 112 फीट, पश्चिम में मानाराम/जवानजी व 112 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खण्डप से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खण्डप से तलब की गई मौका रिपोर्ट में अवगत कराया कि उक्त आलोच्य भूखण्ड पर स्व0 श्री हरिराम का परिवार पुराने निर्मित मकान में निवासरत है एवं भूखण्ड में पशुओं का चारा पाया गया है। वर्तमान में मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। उक्त आलोच्य भूखण्ड का नाप व पड़ोस बदिशा उतर में रा गा पाठशाला व 70 फीट, दक्षिण में हड़मानराम व 70 फीट, पूर्व में आम रास्ता व 95 फीट, पश्चिम में राजाराम मेघवाल व 95 फीट अवस्थित है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि उक्त विवादित भूखण्ड ग्राम गोलिया चौधरीयान, ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान की आबादी भूमि के क्षेत्र मे स्थित है,

जिला कलक्टर
बालोतरा

जबकि उक्त आलोच्य पट्टा ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत खण्डप से क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। वर्ष 1995 में नवगठित ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान में उक्त भूखण्ड अवस्थित है।

5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का कब्जासुदा भूखण्ड मौजा गोलिया चौधरीयान, ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान की आबादी भूमि पर आया हुआ है। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थी का पिछले 50 वर्षो से कब्जा है व आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थी का रहवासीय मकान बना हुआ है। उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी का किसी प्रकार का कब्जा नही रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने स्वामित्व की पुष्टि हेतु कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। सन 1995 में ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान ग्राम पंचायत खण्डप से अलग हो गई थी। उक्त आलोच्य भूखण्ड वर्तमान में ग्राम गोलिया चौधरीयान, ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान की आबादी भूमि के क्षेत्र मे स्थित है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया है, जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से आलोच्य पट्टा खारीज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 गलत रूप से बिना कब्जे की जांच किए प्रार्थी के कब्जे की भूमि का पट्टा अप्रार्थी स्व0 श्री शंकरराम के पक्ष में जारी करने में भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। उक्त आलोच्य भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे जारी पट्टा का नाप 871 वर्गगज दर्शाया गया है, जो कि नियम विरूद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे की प्रार्थी को जानकारी दिनांक 10.09.2021 को हुई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम उक्त आलोच्य भूखण्ड का पट्टा पूर्णतया विधि के प्रतिकूल, अवैधानिक, अनियमित तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों के विरूद्ध जाकर जारी किया गया है, जिससे आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अप्रार्थीगण स्वयं व अधिवक्ता बावजुद सूचना दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

7. हमने पत्रावली में प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा मिसल सं 02/2000–1 पर पंचायत की बैठक में मिसल फैसल दिनांक 07.11.2004 में पारित संकल्प सं. 5 दिनांक 05.11.2004 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा संख्या 36 दिनांक 07.11.2004 जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत से उक्त पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत खण्डप के आदेश क्रमांक/स्पे 1 दिनांक 03.05.2024 के पत्र में अवगत कराया गया हैं कि उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही ग्राम पंचायत खण्डप से तलब की गई मौका रिपोर्ट में उक्त आलोच्य भूखण्ड पर स्व0 श्री हरिराम का परिवार पुराने निर्मित मकान में

जिला कलक्टर
जालोरा

निवासरस है एवं भूखण्ड में पशुओं का चारा होना बताया गया। वर्तमान में मौके पर प्रार्थी का कब्जा होना बताया गया। साथ ही यह भी अवगत कराया कि उक्त विवादित भूखण्ड ग्राम गोलिया चौधरीयान, ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान की आबादी भूमि के क्षेत्र मे स्थित है, जबकि उक्त आलोच्य पट्टा ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत खण्डप से क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। वर्ष 1995 में नवगठित ग्राम पंचायत सरवड़ी चारणान में उक्त भूखण्ड अवस्थित होना बताया गया। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं हैं। इस प्रकार पट्टा मिसल एवं पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर अपूर्ण अंकित दिनांक के अभाव में आलौच्य पट्टा संदिग्ध होना जाहिर होता है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा आलौच्य पट्टा संख्या 36, मिसल संख्या 02/2000–01, दिनांक 07.11.2004 को जारी किया गया है, वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर होने के बावजूद उक्त आलोच्य पट्टा जारी किया है, जो काबिल खारिज योग्य हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पट्टा संख्या 36, मिसल संख्या 02/2000–01, दिनांक 07.11.2004 को जारी किया गया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

8. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से निगरानीकर्ता की और से प्रस्तुत निगरानी स्वीकर कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत खण्डप द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 36, मिसल संख्या 02/2000–01, दिनांक 07.11.2004 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से पट्टा निरस्त किया जाता है, अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

9. निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा